न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2373 सन 2026
CNR No. UPSP 01006101 2026

शादाब खान पुत्र मौ0 हारून खान वर्तमान निवासी दुकान बिगटोएस, राकेश कैमिकल के सामने, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून रोड, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर। मूल निवासी हाउस न0–13/58 गली आदलगढ, मेहमूदी सराय, सराय सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 267/2026
धारा 318(4),351(2) बी.एन.एस
थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

13.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शादाब खान** की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किये गये है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सुधीर पंवार द्वारा थाना सदर बाजार पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वादी एक कार खरीदना चाहता था। उक्त के सम्बन्ध में वादी की मुलाकात विपक्षी शादाब से हुई। शादाब द्वारा वादी को बताया गया कि वह कार खरीदने व बेचने का कार्य करता है और वादी को अपने मोबाईल फोन में कुछ कारो के फोटो दिखाये जाने पर वादी द्वारा उनमे से एक फोरचुनर का को प्रसन्द किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त फोरचुनर कार की कीमत 12 लाख होना बताये जाने पर वादी द्वारा विपक्षी को अग्रिम धनराशि के रूप में मु0–2,10,000/रू0 दिनांक 20.12.2023 को अदा किये गये तथा कार की डिलीवरी दिनांक 01.01.2024 को किया जाना तय हुआ। उक्त दिनांक को वादी द्वारा बकाया 9,90,000/रू0 विपक्षी के कहे अनुसार अपने खाता से विपक्षी की पत्नी के खाता में स्थानान्तरित किये गये। जब वादी कार की डिलीवरी लेने विपक्षी के पास गया तो उसने वादी का बताया कि अभी कार उपलब्ध नहीं हुई है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा दिनांक 15.02.205 तक कार की डिलीवरी न दिये जाने पर वादी, विपक्षी के पास गया तो विपक्षी ने वादी को बताया कि वह उसे फोरचुनर के बदले नई कन्डीशन की इनोवा कार दिलवा सकता है और इनोवा कार 21,60,000/रू0 की पडेगी। जिसके लिए वादी ने विपक्षी को 6,60,000/रू0 अपने बैंक खाता के माध्यम से स्थानान्तरित किये तथा तीन लाख रूपये नगद रूपये नगद विपक्षी को अदा किये गये। उक्त धनराशि प्राप्त करने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा वादी को कोई कार की डिलीवरी नहीं दी गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्त के विरूद्ध थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है। वादी द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए उसके विरूद्ध यह झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। मामला फाईनेन्स कराने का था, जिसके सन्दर्भ में अभियुक्त द्वारा वादी को ब्याज सहित प्राप्त की गयी धनराशि से ज्यादा धनराशि अदा कर रखी है। लेन देन के मामले को फौजदारी मुकदमा का रूप दिया गया है। पुलिस उसे इस मामले में गिरफतार कर जेल भेजना चाहती है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे दौरान विवेचना अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के साथ धोखा धडी कर नाजायज लाभ अर्जित करने के आशय से वादी के कार विक्रय करने का आश्वासन देकर वादी से कुल अंकन–21,60,000/रू0 प्राप्त कर उसे कार की डिलीवरी न करने व वादी को जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में थाना पर यह अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा विपक्षी को भिन्न भिन्न तिथियो पर अपने बैंक खाता से विपक्षी द्वारा उसकी पत्नी के बताये गये बैंक खाता में धनराशि अदा किया जाना अभिलिखित है। उक्त के सन्दर्भ में केस डायरी पर उपलब्ध वादी के बैंक खाता की एकाउन्ट स्टेटमेन्ट में वादी के खाता से आवेदक/अभियुक्त की पत्नी उजमा प्रवीन के खाता में भिन्न भिन्न तिथियो पर कुल 16 लाख 50 हजार रूपये स्थानन्तरित होना दर्शित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क कया गया है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा अभियुक्त को धारा–41क का नोटिस प्रदान करने की बात उसे थाना बुलाकर डरा धमका कर उससे एक समझौता नामा पर हस्ताक्षर करा लिए है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा उक्त शपथ पत्र के कथनो का खण्डन करते हुए तर्क किया गया है कि विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित साक्ष्य के अनुसार प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। मामले की विवेचना प्रचलित है और प्रकरण के सन्दर्भ में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की सम्भावना है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों एवं कथित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किए आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शादाब खान** की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना को प्रेषित की जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।
I.D.UP-1891

दिनांक 13.07.2026